

5212

15/5/25 पद्यावली पेशी में ली गई, अधिवक्ता  
वाणी ने वाद पत्र NOT PRESS में  
छारिफ किये जाने का विवेदन  
किया। अनुमति दी जाकर  
पद्यावली नंबर ले कर की  
जाकर काविल क्वटर की  
जाती है।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
मुंबई

